रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 388] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 30, 1972/भाद्र 8, 1894

No. 388] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 30, 1972/BHADRA 8, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August 1972

S.O. 567(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the late Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Department of Food), No. S.O. 3180, dated the 28th September, 1970 namely:—

In paragraph 5 of the said notification, for the words, figures and letters "by the 31st August, 1972", the words, figures and letters" by the 28th February, 1973" shall be substituted.

[No. 2-3/72-Sugar.]

S. V. SAMPATH, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1972

का० आ० 567(अ).—जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 3180 तारीख 28 सितम्बर, 1970 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

"उक्त अधिसूचना के पैरा 5 में "31 अगस्त, 1972 तक" शब्दों और अंकों और अक्षरों के स्थान पर "28 फरवरी, 1973 तक" शब्द, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।

[सं० 2-3/72-शर्करा]

एस० वी० सम्पथ, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972